

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7]	नई दिल्ली, अप्रैल 10—अप्रैल 16, 2005, शनिवार/चैत्र 20—चैत्र 26, 1927
No. 7]	NEW DELHI, APRIL 10—APRIL 16, 2005, SATURDAY/CHAITRA 20—CHAITRA 26, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2005

आ. अ. 27.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2004 में 49-रॉबर्ट्सगंज (अ.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री भूपेन्द्र, ग्राम-दियाँव, पोस्ट-निगतपुर, जनपद-मीरजापुर, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और जबकि अभ्यर्थी श्री भूपेन्द्र ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में श्री भूपेन्द्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्विहित घोषित करता है।

[सं. 76/उ. प्र.-लो. स./2004]

आदेश से,
एस. के. कौरा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th April, 2005

O. N. 27.—Whereas, the Election Commission is satisfied that Shri Bhupender, Vill.-Diyaon, Post-Nigatpur, Distt.-Mirzapur, Uttar Pradesh a contesting candidate for the General Election to the House of the People, 2004 from 49-Robertsganj (SC) Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made thereunder; and

Whereas, Shri Bhupender has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhupender, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. 76/UP-HP/2004]

By Order,

S. K. KAURA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2005

आ. अ. 28.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तरांचल राज्य से विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन, 2004 में 45-द्वाराहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री प्रमोद कुमार, ग्राम-बैरती, पोस्ट-चित्रेश्वर, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और जबकि अभ्यर्थी श्री प्रमोद कुमार ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में श्री प्रमोद कुमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. 76/उत्तरा-वि.स./2004 (उप)]

आदेश से,

एस. के. कौरा, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th April, 2005

O. N. 28.—Whereas, the Election Commission is satisfied that Shri Pramod Kumar, Vill.-Bairati, Post-Chitrayshwar, Distt.-Almora, Uttaranchal, a contesting candidate for the Bye-Election to the Legislative Assembly, 2004 from 45-Dwarahat Assembly Constituency in the State of Uttaranchal has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made thereunder; and

Whereas, Shri Pramod Kumar has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the said Shri Pramod Kumar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. 76/UCL-LA/2004 (Bye)]

By Order,

S. K. KAURA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2005

आ. अ. 29.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के उप निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2004।	124—सिद्धौर (अ. जा.)	करन, बसौली (इमलीपुर), पोस्ट-मोहम्मदपुर खाला (बाराबंकी)	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	—वही—	—वही—	नरेश कुमार गौतम, ग्राम-सैगोरा तैयब, तहसील-हैदरगढ़, जिला-बाराबंकी	—वही—
3.	—वही—	220—सैदपुर	दिनेश कुमार मौर्य, ग्राम व पोस्ट-डहराकलां, सैदपुर, गाजीपुर	—वही—
4.	—वही—	—वही—	ओम प्रकाश, ग्राम व पोस्ट-नेवादा, जिला-गाजीपुर	—वही—
5.	—वही—	235—मड़ियाहूँ	डा. धर्मराज गवर्लर, ग्राम-गौरा, पोस्ट-गौराबादशाहपुर, जौनपुर	—वही—
6.	—वही—	—वही—	उमा शंकर, ग्राम-कुतुबपुर, पोस्ट-मोकलपुर, मड़ियाहूँ, जौनपुर	—वही—
7.	—वही—	—वही—	महेन्द्र प्रसाद मौर्य, ग्राम व पोस्ट-सेऊर, जिला जौनपुर	—वही—

1	2	3	4	5
8.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2004।	235—मड़ियाहू	विनोद कुमार, ग्राम-बंगालीपुर, पोस्ट-सोनहिता, जिला-जौनपुर	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9.	—वही—	252—करछना	अरुण कुमार तिवारी, ग्राम-बेलाही, पोस्ट-खाई, तहसील-करछना, जिला-इलाहाबाद	—वही—
10.	—वही—	—वही—	प्रभुनाथ मिश्र, ग्राम-कुंवर पट्टी, पोस्ट-जवनिया, तहसील-मेजा, जिला-इलाहाबाद	—वही—
11.	—वही—	—वही—	राम सजीवन, ग्राम व पोस्ट-उरूवा, तहसील-मेजा, जिला-इलाहाबाद	—वही—
12.	—वही—	261-इलाहाबाद पश्चिम	खालिद साबिर, 344, बंहादुरगंज, जनपद-इलाहाबाद	—वही—
13.	—वही—	—वही—	आलोक, 286/141/12, राजरूपपुर, जनपद-इलाहाबाद	—वही—
14.	—वही—	—वही—	जितेन्द्र निषाद, 35/24/1, करैलाबाग, जनपद-इलाहाबाद	—वही—
15.	—वही—	—वही—	दिलीप कुमार, निवासी-ग्राम व पोस्ट-शाहा उर्फ पीपलगाँव, जनपद-इलाहाबाद	—वही—
16.	—वही—	—वही—	रन्जीत, 217, अ उमरपुर नीवां, जनपद-इलाहाबाद	—वही—
17.	—वही—	—वही—	राजबहादुर, 86, गांजा, जनपद-इलाहाबाद	—वही—
18.	—वही—	359-इगलास	चन्द्रपाल, बरौला जाफराबाद, आई. टी. आई. रोड, अलीगढ़	—वही—

1	2	3	4	5
19.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2004।	359—इगलास	राजाराम, ग्राम व पो.—मजू पुर, तहसील—इगलास	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
20.	—वही—	—वही—	जवाहर, ग्राम व पो.—मजू पुर, तहसील—इगलास	—वही—
21.	—वही—	372—गाजियाबाद	राहुल त्यागी, ब्लॉक—एच, म. नं.—5, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद	—वही—

[सं. 76/उ.प्र.—वि.स./2004(उप)]

आदेश से,
एस. के. कौरा, सचिव**ORDER**

New Delhi, the 7th April, 2005

O. N. 29.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the Bye Elections to the Legislative Assembly in the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this Order :—

TABLE

Sl. No.	Particular of Election	Sl. No. & Name of Constituency	Name and Address of Contesting Candidates	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2004.	124—Siddhaur (SC)	Karan, Basauli (Imlipur), Post—Mohammadpur Khala, (Barabanki)	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
2.	—do—	—do—	Nareish Kumar Gautam, Vill.—Saigora Taiyab, Tah.—Haidergarh, Distt.—Barabanki	—do—
3.	—do—	220—Saidpur	Dinesh Kumar Maurya, Vill. & PO—Daharakala, Saidpur, Ghazipur	—do—
4.	—do—	—do—	Om Prakash Vill. & PO—Newada, Distt.—Ghazipur	—do—

1107 GI/05-2

1	2	3	4	5
5.	Bye Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2004.	235—Mariahu	Dr. Dharamraj Goverdar, Vill.—Gaura, Post—Gaurabadshahpur, Jaunpur	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
6.	—do—	—do—	Uma Shankar, Vill.—Kutubpur, Post—Mokalpur, Mariahu, Jaunpur	—do—
7.	—do—	—do—	Mahendra Prasad Maurya, Vill. & Post—Seur, Distt.—Jaunpur	—do—
8.	—do—	—do—	Vinod Kumar, Vill.—Banglipur, Post—Sonahita, Distt.—Jaunpur	—do—
9.	—do—	252—Karchhana	Arun Kumar Tiwari, Vill.—Velahi, P.O.—Khai, Tehsil—Karchana, Distt.—Allahabad	—do—
10.	—do—	—do—	Prabhu Nath Mishra, Vill.—Kunwar Patti, Tehsil—Meja PO—Jawaniya, Distt.—Allahabad	—do—
11.	—do—	—do—	Ram Sajiwan, Vill.—Unrwa, Tehsil—Meja, Distt.—Allahabad	—do—
12.	—do—	261—Allahabad West	Khalid Sabir, 344, Bahadurganj, Distt.—Allahabad	—do—
13.	—do—	—do—	Alok, 286/141/12, Rajroopur, Distt.—Allahabad	—do—
14.	—do—	—do—	Jitendra Nishad, 35/24/1, Karailabagh, Distt.—Allahabad	—do—
15.	—do—	—do—	Dilip Kumar, Vill. + P.O.—Shaha Alias Pipal Gaon, Distt.—Allahabad	—do—
16.	—do—	—do—	Ranjeet, 217A, Umarpur Neewa Distt.—Allahabad	—do—
17.	—do—	—do—	Raj Bahadur, 86, Ganza, Distt.—Allahabad	—do—

1	2	3	4	5
18.	Bye Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh 2004.	359—Iglas	Chandrapal, Baraula Jafarabad, ITI Road, Aligarh	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
19.	—do—	—do—	Raja Ram, Vill. & PO—Majupur, Tehsil—Iglas	—do—
20.	—do—	—do—	Jawahar, Vill. & PO Majupur, Iglas	—do—
21.	—do—	372—Ghaziabad	Rahul Tyagi, Block-H, House No. -5, Shastri Nagar, Ghaziabad.	—do—

[No. 76/UP-LA/2004 (Bye)]

By Order,

S. K. KAURA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2005

आ. अ. 30.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मई 2004 में हरियाणा राज्य-क्षेत्र से हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में तदनुरूपी विनिर्दिष्ट निर्वाचनक्षेत्र से हुआ है, के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विहित बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहता का कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	1-अम्बाला	सुनील कुमार, गाँव रतनगढ़, तहसील व जिला, अम्बाला, हरियाणा।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	—वही—	6-फरीदाबाद	सुभाष बघेल, शेखपुरा नजदीक शिव मंदिर, पलवल। हरियाणा।	—वही—
3.	—वही—	—वही—	अख्तर हुसैन, गाँव इन्दाना त. पुनहाना, जिला गुडगाँव, हरियाणा।	—वही—

1	2	3	4	5
4.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	8-भिवानी	कुलदीप, गाँव मन्दोला, जिला-भिवानी हरियाणा।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5.	—वही—	9-हिसार	परमेश्वर दास, वार्ड नं. 3, नरवाना रोड, जीन्द, हरियाणा।	—वही—
6.	—वही—	—वही—	सुनील कुमार, मकान नं. 550/2 रेलवे रोड, जीन्द जंक्शन, हरियाणा।	—वही—

[सं. 76/हरि.-लो.स./2004(1)]

आदेश से,

के.अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th April, 2005

O. N. 30.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the House of the People held from Haryana State in May, 2004 as specified in column (2) and held from Constituencies correspondingly specified in column (3) against their names have failed to lodge the account of their election expenses as shown in column (5) of the table, as required by the Representation of the People Act, 1951, and to Rules made thereunder.

And, whereas the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice of the Election Commission, and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure; Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this Order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	No. & Name of Constituency	Name and Address of contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Lok Sabha, 2004.	1-Ambala (SC)	Sh. Sunil Kumar Village, Ratnagarh Tehsil and District Ambala, Haryana	Failure to lodge the account of election expenses.
2.	—do—	6-Faridabad	Sh. Subhash Baghel, Shekhpura, Near Shiv Mandir, Palwal Faridabad, Haryana.	—do—
3.	—do—	—do—	Sh. Akhtar Husain, Village Indana, tehsil Punhana, District Gurgaon, Haryana.	—do—
4.	—do—	8-Bhiwani	Sh. Kuldeep, Independent, Village Mandola District Bhiwani.	—do—

1	2	3	4	5
5.	General Election to the Lok Sabha, 2004.	9-Hisar	Sh. Parmeshwar Das, Independent, Ward No. 3, Narwana Road, Jind.	Failure to lodge the account of election expenses.
6.	—do—	—do—	Sh. Sunil Kumar, House No. 550/2, Railway Road, Jind Junction.	—do—

[No. 76/HN-HP/2004 (1)]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2005

आ. अ. 31.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मई, 2004 में राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली से हुए लोकसभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में तदनुसूची विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वर्ती बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	04-पूर्वी दिल्ली	अर्जुन प्रसाद, 14/491, त्रिलोक पुरी, दिल्ली-110091	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	—वही—	—वही—	मो. इकबाल कुरैशी, ए-109/110 जे. पुरी, दिल्ली-110033	—वही—
3.	—वही—	—वही—	प्रदीप कुमार, ई-60, खजूरी खास, दिल्ली-110094	—वही—
4.	—वही—	—वही—	अनिल कुमार जाटव, ई-226, गली नं.-5, हरदेव पुरी, दिल्ली	—वही—
5.	—वही—	—वही—	पवन कुमार, डी-1, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-110096	—वही—
6.	—वही—	—वही—	मनजीत, बी-79, पश्चिमी ज्योति नगर, गली नं.-4, शाहदरा, दिल्ली-110094	—वही—

1107 GI/05-3

1	2	3	4	5
7.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	06-दिल्ली सदर	पं. नन्द किशोर मिश्रा बाबा, सेक्टर-II डी आई जेड एरिया महेश्वर आश्रम, पेशवा रोड, गोल मार्किट, नई दिल्ली-110001	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8.	—वही—	—वही—	रफी उल्ला, 1673, गली तख्त वाली, सुईवाला, दरियागंज, नई दिल्ली	—वही—
9.	—वही—	07-करोल बाग	पलुसकर कृष्णाराव, मांजरी, पुणे	—वही—
10.	—वही—	—वही—	पुरुषोत्तम दास गुगडोदिया, 16/322 एच, बापा नगर, दिल्ली	—वही—
11.	—वही—	—वही—	लजपत राय, 16/577-आई, बापा नगर, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005	—वही—

[सं. 76/दिल्ली-लो.स./2004(1)]

आदेश से,

के. अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th April, 2005

O.N. 31.—Whereas, the Election Commission is satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the House of the People held from National Capital Territory of Delhi in May, 2004 as specified in column (2) and held from the Constituencies correspondingly specified in column (3) against their names have failed to lodge the account of their election expenses as shown in column (5) of the table, as required by the representation of the People Act, 1951, and to Rules made thereunder.

And, whereas the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice of the Election Commission and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this Order:—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name and Address of contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Lok Sabha, 2004.	04-East Delhi	Sh. Arjun Prasad, 14/491, Trilok Puri, Delhi-110091.	Failure to lodge the account of election expenses.
2.	—do—	—do—	Mohd. Iqbal Quereshi, A-109, J. Puri, Delhi-110033.	—do—

1	2	3	4	5
3.	General Election to the Lok Sabha, 2004.	04-East Delhi	Pradeep Kumar, E-60, Khajoori Khash, Delhi-110094.	Failure to lodge the account of election expenses.
4.	—do—	—do—	Sh. Anil Kumar Jatav, E-226, Gali No. 5, Hardev Puri, Delhi.	—do—
5.	—do—	—do—	Sh. Pawan Kumar, D-1, New Ashok Nagar, Delhi-110096.	—do—
6.	—do—	—do—	Sh. Manjit, B-79, West Jyoti Nagar, Street-4 Shahdara, Delhi-110094.	—do—
7.	—do—	06-Delhi Sadar	Pt. Nand Kishore Mishra, Baba, Sector-2, DIZ Area, Maheshwar Ashram, Peshwa Road, Gole Market, New Delhi-110001.	—do—
8.	—do—	—do—	Sh. Rafiulla, 1673, Gali Takhat Wali, Suiwalan, Daryaganj, New Delhi.	—do—
9.	—do—	07-Karol Bagh	Sh. Paluskar Krishna Rao, Maanjari, Pune.	—do—
10.	—do—	—do—	Sh. Prashottam Dass Gugrodiya, 16/322 H. Bapa Nagar, Delhi.	—do—
11.	—do—	—do—	Sh. Lajpat Rai, 16/577-1, Bapa Nagar, Arya Samaj Road, Karol Bagh, Delhi-110005.	—do—

[No. 76/DL-HP/2004 (1)]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2005

आ. अ. 32.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य से लोकसभा, 2004 के साधारण निर्वाचन के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वर्ती बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी			
क्र. सं.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का क्र.सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4
1.	1—श्रीकाकुलम	श्री डुंगा रंगराव नायडु न्वानामबाडु ग्राम, पेन्नाम स्ट्रीट, श्रीकाकुलम मण्डल, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
2.	19—नेल्लोर (अ.जा.)	श्री माड्डेला ब्रह्मणनायडू 25-1-1742 नेताजी नगर, नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश	—वही—
3.	39—वारंगल	श्री बालैया तेजावथ धर्मरावगेट ग्राम, खनापुर (एम) जिला वारंगल, आन्ध्र प्रदेश	—वही—

[सं. 76/आ.प्र.-लो. स./2005]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th April, 2005

O. N. 32 .—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (3) of the Table below at the General Election to the House of People, 2004 held from the Constituencies of Andhra Pradesh State as specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses and failed to lodge the account in the manner required by law as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No.	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name and Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	1-Srikakulam	Sh. Dunga Rangarao Naidu Navanambadu Village, Ponnam Post, Srikakulam Mandal, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged

1	2	3	4	5
2.	19—Nellore (SC)	Sh. Maddela Brahmanaidu 25-1-1742, Nethaji Nagar, Nellore, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged	
3.	39—Warangal	Sh. Bellaiah Tejavath Dharmaraopet Village, Khanapur (M), District Warangal, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged	

[No. 76/AP-HP/2005]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2005

आ. अ. 33.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य से विधानसभा 2004 के साधारण निर्वाचन के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विनिर्दिष्ट बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:—

सारणी

क्र. सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र.सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4
1.	2—सोमपेटा	श्री तामाडा त्रिलोचनराव बोड्डापाडु गांव, वया कासीबुर्गा, पालसे मंडल, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
2.	3—टैक्काली	श्री मट्टा पुरुषोत्तम, गेपीनाथपुरम, टैक्काली, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
3.	5—नारासान्नापेटा	श्री कनुसु सीताराम, कोमानापल्ली (गांव व पो.), जालुमुरु मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
4.	5—नारासान्नापेटा	श्री कोटचेरला कालीदास, हरिजन स्ट्रीट, इंडुलक्ष्मीपुरम (गांव) प्रियाग्राहरम पोस्ट, पोलाकी मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया

1107 GI/05-4

1	2	3	4
5.	48—ककिनाडा	श्री हरिबाबू कन्दुला डोर नं. 48-15-15/ए गोगूदानाय्यापेट, जगन्नाथपुरम ककिनाडा, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
6.	51—रामचन्द्रपुरम	श्री वेंकटराव सुदामसैट्टी, दासारीपाड (बी) मुख्यालय वेंकटायपालम, रामचन्द्रपुरम, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
7.	62—भीमावरम	श्री पान्दुरंगा राव पेड्डेटी, सुपुत्र वेंकट नरसिम्हा मूर्ति, डोर नं. 16-17-1/3, सूरीनीडीवारी वीथी, भीमावरम, डब्ल्यू जी जिला, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
8.	72—कोव्वुर	श्री वीराजू गेलाम, डोर नं. 8-7-16ए, 7वां वार्ड, कोव्वुर, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
9.	199—मकिहल	श्री जे. सूर्य नारायण, मकान नं. 5-5-388/48, पटेल नगर, नामपल्ली, हैदराबाद-500001, आन्ध्र प्रदेश	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल नहीं किया
10.	202—विकाराबाद (अ.जा.)	श्री बेगारी परमैय्या, 1-1/3, टेकुलापल्ली (ग्राम), मोमिनपेट (एम) रंगारेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
11.	202—विकाराबाद (अ.जा.)	श्री तलारीवेसुदास, मीनेपल्ली कलान (ग्राम) नवाबपेट (एम) रंगारेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया
12.	202—विकाराबाद (अ.जा.)	श्री एन. तिरुमलैया 4-7-219, श्री साईं बाबा कालोनी, रेजीडेन्शियल स्कूल के सामने, विकाराबाद, रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश	लेखा रीति से दाखिल नहीं किया
13.	202—विकाराबाद (अ. जा.)	श्री मासागल्ला बिचन्ना 5-94, पुडुर (ग्राम) पुडुर (मंडल) रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश	लेखा दाखिल नहीं किया।

[सं. 76/आ.प्र.-वि. स./2005]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th April, 2005

O.N. 33.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2004 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses and failed to lodge the account in the manner required by law as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1	2—Sompeta	Sh. Tamada Trilochanarao, Boddapadu Village, Via Kasibugga, Palase Mandal, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
2	3—Tekkali	Sh. Matta Purushottam, Gopinadhapuram, Tekkali, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
3	5—Narasannapeta	Sh. Kanusu Sitaram, Komanapalli, (Village & Post), Jalumuru Mandal, Srikakulam District, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
4	5—Narasannapeta	Sh. Kotcherla Kalidas, Harijan Street, Dandulaxmipuram (Village), Priyagraharam (Post) Polaki Mandal, Srikakulam District, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
5	48—Kakinada	Sh. Haribabu Kandula, Door No. 48-15-15A, Gogudanayyapeta, Jagannadhapuram, Kakinada, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
6	51—Ramachandrapuram	Venkatarao Sudamasetti, Dasaripadu (V) H/o Venkatayapalam, Ramachandrapuram, Andhra Pradesh	Accounts not lodged

1	2	3	4
7.	62—Bhimavaram	Sh. Panduranga Rao Peddeti, S/o Venkata Narasimha Murthy, D. No. 16-17-1/3, Surincedivari Veedhi, Bhimavaram, W.G. District, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
8.	72—Kovvur	Sh. Veeraju Gelam, D. No. 8-7-16A, 7th Ward, Kovvur, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
9.	199—Makihal	Sh. J. Surya Narayana, H. No. 5-5-388/48, Patel Nagar, Nampally, Hyderabad-500001, Andhra Pradesh	Failed to lodge the account in the manner required by law.
10.	202—Vicarabad (SC)	Sh. Begari Parmaiah, 1-1/3, Tekulapally (Vg.) Mominpet (M) Ranga Reddy District, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
11.	202—Vicarabad (SC)	Sh. Talari Yesudas, Meenepally Kalan (Vg.) Nawabpet (M) Ranga Reddy District, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
12.	202—Vicarabad (SC)	Sh. N. Thirumalaiah, 4-7-219, Sri Sai Baba Colony, Opp. to Residential School, Vicarabad Ranga Reddy District, Andhra Pradesh	Accounts not lodged
13.	202—Vicarabad (SC)	Sh. Masagalla Bichanna, 5-94, Pudur (Vg.) Pudur (Mandal) Ranga Reddy District, Andhra Pradesh.	Accounts not lodged

[No. 76/AP-LA/2005]

By Order,
TAPAS KUMAR, Secy.